दैनिक भास्कर

पटना, शनिवार, 29 दिसंबर, 2018

31 जनवरी तक लेट फाइन के साथ अपने प्रोजेक्ट का निबंधन करा सकेंगे बिल्डर

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बिल्डरों और प्रमोटरों को एक महीने की राहत देते हुए जारी परियोजनाओं के निबंधन की आखिरी तारीख लेट फाइन के साथ 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। रेरा के सदस्य आरबी सहाय ने बताया कि यह छूट ऐसे बिल्डरों को दी गई है, जो स्वेच्छा से निबंधन के लिए आगे आ रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के निर्माण कराते पाए जाने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा, जो दस लाख या पूरी परियोजना लागत का 10% हो सकता है। रेरा ने बिना रजिस्ट्रेशन काम कर रहे बिल्डरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अभी तक 330 बिल्डरों और प्रमोटरों को नोटिस दिया जा चुका है।